लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024

संख्या-10/2024/516/तीस-4-2024-8(11)/2009.टीसी

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक: 12 अप्रैल, 2024

विषयः लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 को सम्पन्न कराने के लिए हल्के वाहनों की व्यवस्था हेतु मण्डलीय/अन्तर्मण्डलीय पूल की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-176/61-2024, दिनांक 18.03.2024 के संदर्भ में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-203/सी0ई0ओ0-3/08-3-2017, दिनांक 19.03.2024, जो समस्त मण्डलायुक्त को संबोधित तथा परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के संदर्भित पत्र दिनांक 19.03.2024 के संदर्भ में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-49 नि0सेल/2024-05निर्वा0प्रको0/2024, दिनांक 02.04.2024 द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु यातायात प्रबन्ध में हल्की गाड़ियों की व्यवस्था के दृष्टिगत अवगत कराया गया है कि कतिपय जनपदों में आवश्यकता के अनुरूप हल्के वाहनों की उपलब्धता न होने से अथवा मण्डलीय पूल या अन्य निकटस्थ मण्डलों से वाहन मंगाने में ईधन पर होने वाले व्यय के सापेक्ष स्थानीय रूप से प्राइवेट हल्के वाहन किराये पर लिया जाना मितव्ययिता की दृष्टि से उपयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि हल्के गाड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति यदि मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जिलों से सुनिश्चित नहीं होती है तो ऐसी दशा में समीपवर्ती मण्डल के मण्डलायुक्त से विचार-विमर्श कर उक्त मण्डल से इसकी व्यवस्था करानी होगी। यदि समीपवर्ती मण्डलों से भी हल्के वाहन उपलब्ध न हो सकें तो परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर प्राइवेट वाहन अधिग्रहीत कर कमी को पूरा किया जायेगा। उक्त के क्रम में शासनादेश निर्गमन हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा हल्के वाहनों की व्यवस्था हेतु मण्डलीय/अन्तर्मण्डलीय पूल के गठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- अत: इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए निम्नवत् कार्यवाही/आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

(1) एतद्द्वारा संलग्न तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मण्डलों में वाहनों की कमी की पूर्ति स्तम्भ-5 में अंकित मण्डलों से की जाय।

(2) मण्डलायुक्त कृपया हल्के वाहनों की अपने मण्डल की आवश्यकता की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करेंगें कि जिन मण्डलों में हल्के वाहनों की कमी है, उसे तालिका में दर्शाये गये मण्डल/मण्डलों से तत्काल सम्पर्क करके वाहनों की आपूर्ति सुनिश्चित कर लेंगें तथा जनपदवार की गयी उक्त व्यवस्था से तुरन्त जिलाधिकारियों को भी अवगत करायेंगें।

(3) यदि ग्रुप में दर्शाये गये मण्डलों से भी आवश्यकता के अनुरूप हल्के वाहनों की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं होता है तो ऐसी अपरिहार्य स्थिति में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी वाहनें अधिग्रहीत की जा सकेंगीं। यह भी स्पष्ट करना है कि यदि संलग्नक में दिये गये चिन्हित मण्डल/मण्डलों से वाहनों को मंगाना मितव्ययी न हो तो स्थानीय स्तर से प्राइवेट वाहनों को अधिग्रहीत कर कार्यवाही की जाय। इस प्रकार हल्के वाहनों को निर्वाचन में प्रयोग करने पर मितव्ययिता का ध्यान रखा जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
ह0/-
एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या-10/2024/516(1)/तीस-4-2024-8(11)/2009 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
भूपेन्द्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-10/2024/516/तीस-4-2024-8(11)/2009.टीसी, दिनांक 12 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

क्र0 सं0	चरण का दिनांक	मण्डल का नाम जहां निर्वाचन निर्धारित है	जनपद जहां निर्वाचन होना है	मण्डल/संभाग जहां से सम्पूर्ति होने है
1	2	3	4	5
1	प्रथम चरण 19.04.2024 (शुक्रवार)	सहारनपुर	सहारनपुर, कैराना (शामली), मुजफ्फरनगर	मेरठ मण्डल गाजियाबाद- संभाग
		मुरादाबाद	बिजनौर, नगीना (बिजनौर) मुरादाबाद, रामपुर	बरेली
		बरेली	पीलीभीत	बरेली
2	द्वितीय चरण 26.04.2024 (शुक्रवार)	मुरादाबाद	अमरोहा	मुरादाबाद
		मेरठ	मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर,बुलन्दशहर	मेरठ/सहारपुर/मुरादाबाद
		अलीगढ़	अलीगढ़	अलीगढ़
		आगरा	मथुरा	आगरा
3	तृतीय चरण 07.05.2024 (मंगलवार)	मुरादाबाद	सम्भल	मुरादाबाद
		अलीगढ़	हाथरस एटा	मेरठ (मेरठ-संभाग)
		आगरा	आगरा, फतेहपुर सीकरी (आगरा), फिरोजाबाद, मैनपुरी	मेरठ मण्डल, गाजियाबाद-संभाग
		बरेली	बदायूं, ऑवला (बरेली), बरेली	बरेली/मुरादाबाद
4	चतुर्थ चरण 13.05.2024 (सोमवार)	बरेली	शाहजहांपुर	बरेली
		लखनऊ	खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव	लखनऊ/अयोध्या/देवीपाटन-गोण्डा
		कानपुर	फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर अकबरपुर (कानपुर देहात)	कानपुर/झांसी/बांदा
		देवापाटन-गोण्डा	बहराइच	बस्ती
5	पंचम चरण 20.05.2024 (सोमवार)	लखनऊ	मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली	लखनऊ
		झांसी	जालौन, झांसी	आगरा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		चित्रकूटधाम (बांदा)	हमीरपुर, बांदा	कानपुर
		प्रयागराज	फतेहपुर, कौशाम्बी	प्रयागराज/मीरजापुर
		अयोध्या	बाराबंकी, फैजाबाद, अमेठी	अयोध्या/गोरखपुर
		देवीपाटन	कैसरगंज (बहराइच), गोन्डा	देवीपाटन/बस्ती
6	षष्ठम चरण 25.05.2024 (शनिवार)	अयोध्या	सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर	अयोध्या/लखनऊ
		प्रयागराज	प्रतापगढ़, फूलपुर (प्रयागराज), इलाहाबाद	प्रयागराज/चित्रकूट धाम
		देवीपाटन	श्रावस्ती	देवीपाटन-गोण्डा
		बस्ती	डुमरियांगज (बस्ती), बस्ती, संतकबीरनगर	बस्ती/लखनऊ
		आजमगढ़	लालगंज, आजमगढ़	आजमगढ़/वाराणसी
		वाराणसी	जौनपुर, मछलीशहर	वाराणसी
		मीरजापुर	भदोही	मीरजापुर
7	सप्तम चरण 01.06.2024 (शनिवार)	गोरखपुर	महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर	गोरखपुर/बस्ती/देवीपाटन-गोण्डा
		आजमगढ़	घोसी (मऊ), बलिया	आजमगढ़/अयोध्या
		वाराणसी	गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी	वाराणसी/प्रयागराज
		मीरजापुर	मीरजापुर, राबर्ट्सगंज (सोनभद्र)	मीरजापुर/प्रयागराज

ह0/-
भूपेन्द्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।